कार्यालय जनपद न्यायाधीश औरैया

प्रकीर्ण आदेश संख्या– 08 / 2021 दिनांक–जनवरी 08 ,2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या–68/xe–4 दिनांक– 26.07.1980 में दी गयी व्यवस्था एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश 05 दिन के स्थानीय अवकाश जिलाधिकारी औरैया से विचार–विमर्श करके निश्चित एवं घोषित करेगे। इसके अतिरिक्त यदि द्वितीय शनिवार या रविवार को कोई राष्ट्रीय अवकाश या कोई अन्य अवकाश पडता है तो जनपद न्यायाधीश उसके स्थान पर अतिरिक्त दिवस को अवकाश घोषित कर सकते है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों हेतु निर्गत कैलेण्डर वर्ष 2021 के निर्देश सं0 04 के अनुपालन में जिलाधिकारी से विचार–विमर्श करने के उपरान्त निम्नलिखित 05 तिथियों पर स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं।

1. दिनांक–14.01.2021 दिन गुरूवार (मकर संक्रांति)
2. दिनांक–16.02.2021 दिन मंगलवार (बसंत पंचमी)
3. दिनांक–30.03.2021 दिन मंगलवार
4. दिनांक–13.04.2021 दिन मंगलवार (चेटीचन्द)
5. दिनांक–06.11.2021 दिन शनिवार (भाई दूज, दीपावली)

तथा इसके अतिरिक्त 28.03.2021 होली अवकाश का दिन रविवार, स्वतंत्रता दिवस 15.08.2021 का दिन रविवार अवकाश पडने के कारण इनके बदले 02 दिन का अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाता है।

1. दिनांक–31.03.2021 दिन बुधवार (होली)
2. दिनांक–16.10.2021 दिन शनिवार

आदेश की एक–एक प्रति मननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जिलाधिकारी औरैया, अध्यक्ष/महामन्त्री जिला बार व सिविल बार एसोसिएशन औरैया, अध्यक्ष/महामन्त्री जिला राजस्व बार एसोसिएशन तहसील औरैया, जनपद न्यायालय औरैया के समस्त न्यायालयों एवं कार्यालयों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। एक प्रति दैनिक समाचार पत्र को निःशुल्क प्रकाशन हेतु भेजी जावे तथा एक प्रति जनपद न्यायालय औरैया के नोटिस बोर्ड भी चस्पा की जावे।

08.01.2021

(डा0 दीपक स्वरूप सक्सेना),
जनपद न्यायाधीश
औरैया।